

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक :- मुसप्र/2017/1165

दिनांक :- 17/3/17

CEM/1165
17/3/17


संशोधित आदेश

मंडल के आदेश क्रमांक 1139 दिनांक 10.03.2017 में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 22 (जी+3) अल्प आय वर्ग के 07 (जी+3) व मध्यम आय वर्ग 'अ' के 28 (जी+3) बाबा मोहन राम एन्क्लेव में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 36 (जी+3) तथा सेक्टर-4 व 07 योजना में मध्यम आय वर्ग 'अ' के 02 (जी+3) फ्लेट्स कुल 95 (जी+3) फ्लेटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत नकद भुगतान पद्धति में किया जावे।


सम्पदा प्रबंधक (मुं0)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.) प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.मंडल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर, राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भिवाड़ी, राजस्थान आवासन मण्डल, भिवाड़ी।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब-साईट पर अपलोड व सभी को ई-मेल करे।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मुं0)